



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072021-228497
CG-DL-E-27072021-228497

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2752]
No. 2752]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 27, 2021/श्रावण 5, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 27, 2021/SHRAVANA 5, 1943

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2021

का.आ. 2958(अ).—संयुक्त राष्ट्र समिति सुरक्षा परिषद् ने आईएसआईएस (दाएश) अल-कायदा और सहयुक्त व्यष्टियों, समूहों, उपक्रमों और अस्तित्वों से संबंधित संकल्प 1267 (1999), संकल्प 1989 (2011) और संकल्प 2253 (2015) के अनुसरण में सुरक्षा परिषद् संकल्प 2368 (2017) के पैरा 1 में उपवर्णित आस्तियों की जब्ती, यात्रा-रोक और शस्त्र-प्रतिबंध के अधीन रहते हुए, व्यष्टियों और अस्तित्वों की उसकी आईएसआईएस (दाएश), और अल-कायदा प्रतिबंधों की सूची के संबंध में संशोधन अधिनियमित किए हैं, और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर अध्याय-7 के अधीन अंगीकृत किए हैं।

और, केंद्रीय सरकार, उक्त संशोधनों को प्रभावी करने के लिए संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद्) अधिनियम, 1947 के अधीन जारी किए गए आदेश की अनुसूची को पुनरीक्षित करना आवश्यक और समीचीन समझती है।

अतः अब, केंद्रीय सरकार, संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद्) अधिनियम, 1947 की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आतंकवाद निवारण और दमन (सुरक्षा परिषद् संकल्प कार्यान्वयन) आदेश, 2007 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम आतंकवाद निवारण और दमन (सुरक्षा परिषद् संकल्प कार्यान्वयन) दूसरा संशोधन आदेश, 2021 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. आतंकवाद निवारण और दमन (सुरक्षा परिषद् संकल्प कार्यान्वयन) (संशोधन) आदेश, 2007 के उपाबंध 1 में, “क. व्यष्टि” शीर्ष के अधीन क्यूडीआई 428 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“क्यूडीआई. 429 नाम:1: मोहम्मद 2: अली 3: अल हब्बो

नाम (मूल लिपि):

पदवी: उपलब्ध नहीं नामजद: उपलब्ध नहीं जन्म तिथि: क) 1 अक्टूबर, 1983 ख) 15 मार्च, 1983 ग) 1 जनवरी, 1980 जन्म स्थान: रक्का, सीरियाई अरब गणराज्य सुजात उर्फ: क) मोहम्मद अब्दुलकरीम ख) मोहम्मद अब्द-अल-करीम अल्प ज्ञात उर्फ: क) अल-हेबो ख) अल-हाबु ग) अलहोबो घ) हाबो ड) हेबो च) हाबु राष्ट्रीयता: सीरियाई अरब गणराज्य पासपोर्ट सं. सीरियाई अरब गणराज्य सं.00814एल001424 राष्ट्रीयता पहचान सं. क) सीरियाई अरब गणराज्य राष्ट्रीयता पहचान सं. 10716775 ख) सीरियाई अरब गणराज्य राष्ट्रीयता पहचान सं. 2020316097 ग) सीरियाई अरब गणराज्य राष्ट्रीयता पहचान सं. 2020409266 पता: क) गाजाटिप, तुर्की (2016 से) ख) रक्का सीरियाई अरब गणराज्य सूचीबद्ध: 17 जून, 2021 अन्य सूचना: तुर्की में रहने वाला मददकर्ता जो इराक और लेवांत में इस्लामिक स्टेट, जो इराक में अल-कायदा के रूप में सूचीबद्ध (क्यूडीआई.115)” है को वित्तीय सेवाएं या सहयोग प्रदान करता है।

[फा. सं. यू. II/152/31/2021]

प्रकाश गुप्ता, संयुक्त सचिव(यूएनपी प्रभाग)

टिप्पण : मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), में का.आ. संख्याक 460(अ) तारीख 28 मार्च, 2007 द्वारा प्रकाशित किया गया था और का. आ. 2174 (अ) तारीख 8 जून, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया।

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 27th July, 2021

S.O. 2958(E).—Whereas the Security Council of the United Nations Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da'esh), Al-Qaida, and associated individuals, groups, undertakings and entities enacted amendments on its ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2368 (2017), and adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations;

And whereas, the Central Government considers it necessary and expedient to revise the Schedule to the Order issued under the United Nations (Security Council) Act, 1947 (43 of 1947) to give effect to the said amendments;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 2 of the United Nations (Security Council) Act, 1947, the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Prevention and Suppression of Terrorism (Implementation of Security Council Resolutions), Order 2007, namely:—

1. Short title and Commencement.- (1) This Order may be called the Prevention and Suppression of Terrorism (Implementation of Security Council Resolutions) second Amendment Order, 2021.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention and Suppression of Terrorism (Implementation of Security Council Resolutions) Order, 2007, in Annexure 1, under the heading “A. Individuals”, after paragraph QDi.428 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

“QDi.429 Name: 1: MOHAMMAD 2: ALI 3: AL HABBO

Name (original script): محمد علي الحبو

Title: na Designation: na DOB: a) 1 Oct. 1983 b) 15 Mar. 1983 c) 1 Jan. 1980 POB: Raqqa, Syrian Arab Republic Good quality a.k.a.: a) Mohamad Abdulkarim b) Muhammad Abd-al-Karim Low quality a.k.a.: a)

Al-Hebo b) Al-Habu c) Alhobo d) Habo e) Hebbo f) Habu Nationality: Syrian Arab Republic Passport no: Syrian Arab Republic number 00814L001424 National identification no: a) Syrian Arab Republic national identification card number 10716775 b) Syrian Arab Republic national identification card number 2020316097 c) Syrian Arab Republic national identification card number 2020409266 Address: a) Gazantiep, Turkey (since 2016) b) Raqqa, Syrian Arab Republic Listed on: 17 June 2021 Other information: Turkey-based facilitator who provides financial services to, or in support of, Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115)".

[F. No. U.II/152/31/2021]

PRAKASH GUPTA, Jt. Secy. (UNP Division)

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 460(E), dated the 28th March, 2007 and last amended vide S.O. 2174(E), dated the 8th June, 2021.